



१३.०९.१५ - पत्रावली पेश। वारी वकील उपस्थित।  
पत्रावली वाले आयदां कार्यवाही  
दिनांक १५.११.१५ को पेश हो।

१५.११.१५ - पत्रावली पेश। अभिधांक वारी उप०।  
एक प्राथमिक पत्र इस आशय का पेश गया  
जाया कि वे इस वार को विद्रो कर पुनः  
नया वार पेश करना चाहते हैं। वारी का  
उत्तर है कि इस वार में निम्नलिखित सं  
कावनी गृहियां हैं अतः वे इस वार को  
विद्रो करना चाहते हैं।

अभिधांक वारी के प्राथमिक  
की कृति साय हावा वारी विद्रो विद जाने  
से खारिज किया जाता है। वारी का पुनः वार  
पेश करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।  
पत्रावली के समस्त शुमार होकर वार तत्काल  
चम्बर से उभ होकर प्र। विगत दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)